राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 मनरेगा)

क्रमांक एफ 5(26)ग्रावि/नरेगा/समीक्षा/13–14 जयपुर, दिनांक : 12 MAR 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा के संबन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के कियान्वयन में जिलों में विभिन्न बिन्दुओं पर लगातार मॉनिटरिंग किया जाना अनिवार्य है। इन बिन्दुओं की मॉनिटरिंग का प्रावधान योजना की एम.आई.एस. में स्वतः किया गया है जिसमें अलर्ट के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को इन बिन्दुओं में आने वाली कमियों का समय पर पता चल सकता है। देखने में आया है कि इन डाटा के आधार पर एमआईएस मैनजर/सहायक कार्यक्रम अधिकारी/डाटा एन्ट्री आपरेटर द्वारा अवगत करवाये जाने पर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अथवा विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे नरेगा एम.आई.एस. में आने वाले अलर्ट का लाभ होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पाता है।

यह भी देखने में आया है कि इन बिन्दुओं की अनदेखी होने के कारण जिला/ब्लाक स्तर पर अधिकारियों द्वारा मात्र कागजी नोटिस के स्टेज पर ही प्रकरण स्वतः समाप्त हो जाता है। इस संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अविलम्ब वर्ष 2013–14 में श्रम सामग्री अनुपात बिगड़ने, मजदूरी के विलम्ब से भुगतान, मांग के बावजूद कार्य नहीं देने तथा समय पर मस्टररोल का इन्द्राज नहीं करने जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कार्मिकों की जिम्मेदारी तय कर तथा पूर्व में शुरू की गयी कार्यवाही पूर्ण करें एवं जिन प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं की गई है, उनमें समयबद्ध रूप से एक माह के अंदर ही दोष निर्धारण करते हुए नरेगा अधिनियम की धारा 25/पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 91–क(विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.10.10)/राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 15 के उपनियम 1 के तहत जिला कलेक्टर को दी गयी शक्तियों (कार्मिक क–3 विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2010) के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें। मात्र औपचारिकता का निर्वहन न करें।

उदाहरणतः अलवर जिले में निरीक्षण में पाया गया है कि तत्कालीन अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा दोषी विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस से संतुष्ट नहीं होने पर 17 सी. सी. में कार्यवाही का निर्णय पत्रावली पर ले लिया गया, परन्तु आरोप पत्र हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत होने पर पुनः कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया, जिससे अनुशासनहीनता को बढावा मिलता है। इस प्रकार की प्रवृतियों पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है।

अतः महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(नवीन जैन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/जोधपुर/बाडमेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों की जानकारी करें तथा प्रभावी कार्यवाही हेतु पत्रावली जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करें।
2. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
3. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, ईजीएस